राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

डी.बी. क्रिमिनल अपील संख्या 443/1989

जोग सिंह पुत्र पाबूदान सिंह, जाति राजपूत, निवासी बाराथल कलां, पुलिस स्टेशन खींवसर, जिला नागौर। (वर्तमान में जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद)।

----अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य

----प्रतिवादी

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री भंवर सिंह राठोड़

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री बी आर बिश्नोई, पीपी

माननीय **डॉ** न्यायमूर्ति **पुष्पेन्द्र सिंह भाटी**

माननीय श्री न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रकाश सोनी

निर्णय

रिपोर्ट करने योग्य

29/05/2024

प्रति माननीय श्री आर पी सोनी, जे:

1. अपीलकर्ता पर 20.10.1986 को ग्राम बारथल कल्लन, पुलिस थाना खिनवासर, जिला नागौर में रतन सिंह की हत्या करने के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 436, 447 और शस्त्र अधिनियम की धारा 3/27 के तहत आरोप लगाए गए और मुकदमा चलाया गया। उसे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नागौर द्वारा पारित दिनांक 26.09.1989 के निर्णय और आदेश द्वारा उपरोक्त अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया और उसे निम्नानुसार सजा सुनाई गई:-

u/s	सजा सुनाई गई	जुर्माना	जुर्माना डिफ़ॉल्ट होने पर सजा
447 IPC	एक महीना आर. आई.	--	--
436 IPC	तीन साल आर. आई.	Rs 100/-	एक महीना आर. आई.
302 IPC	उम्रकैद	Rs 100/-	एक महीना आर. आई.
3/27 Arms Act	तीन साल आर. आई.	Rs 100/-	एक महीना आर. आई.

सभी सजाएं एक साथ चलाने का आदेश दिया गया।

2. एफ.आई.आर. (एक्स.पी-1) में वर्णित अभियोजन पक्ष की कहानी यह है कि दिनांक 20.10.1986 को परिवादी खग सिंह (पी.डब्लू-1) ने पुलिस स्टेशन खींवसर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका छोटा भाई मृतक रतन सिंह उनके खेत इंडोकावाला में स्थित ढाणी में रहता था। रतन

सिंह अविवाहित था और अकेला रहता था। दिनांक 20.10.1986 को परिवादी और उसके दो बेटे दुल सिंह उर्फ दुले सिंह (पी.डब्लू-2) और लाभू सिंह उर्फ लाभू सिंह (पी.डब्लू-3) रतन सिंह के साथ संयुक्त काश्तकारी के उक्त खेत में काम कर रहे थे। उस दिन दोपहर करीब 3:15 बजे अपीलार्थी-अभियुक्त जोग सिंह अपने गांव से टांकला गांव को जाने वाली सड़क से परिवादी के खेत में आया। यह सड़क परिवादी के खेत की चारदीवारी के पास से गुजरती है। जोग सिंह के पास 12 बोर की बंदूक और कारतूसों का बंडल था। आते ही उसने रतन सिंह को ललकारा और मरने के लिए तैयार रहने को कहा। इसके बाद उसने रतन सिंह पर बंदूक से फायर कर दिया, जिससे रतन सिंह जमीन पर गिर गया। डर के मारे शिकायतकर्ता और उसके दोनों बेटे जान बचाने के लिए पड़ोस की ढाणी की ओर भागे। जोग सिंह ने रतन सिंह पर 2-3 और फायर किए। इसके बाद रतन सिंह शिकायतकर्ता की ढाणी में गया और ढाणी में आग लगा दी और भाग गया। जोग सिंह के जाने के बाद शिकायतकर्ता और उसके दोनों बेटे रतन सिंह के पास गए तो देखा कि वह खेत में मृत पड़ा था और उसके शरीर पर गोली के घाव थे। उसका शरीर खून से लथपथ था। आग की लपटें देखकर आसपास की बस्तियों से काफी लोग वहां एकत्र हो गए। शिकायतकर्ता और ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया, जिससे एफ.आई.आर. दर्ज करने में देरी हुई।

3. उपरोक्त रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात, एक औपचारिक एफ.आई.आर. दर्ज की गई, जांच शुरू की गई और जांच पूरी होने के पश्चात अपीलकर्ता के खिलाफ चालान पेश किया गया। मामला सत्र न्यायालय को सौंपे जाने के पश्चात, अपीलकर्ता पर मुकदमा चलाया गया। उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 447, 436, 302 और शस्त्र अधिनियम की धारा 3/27 के तहत दंडनीय अपराधों के आरोप लगाए गए। अपीलकर्ता ने आरोपों से इनकार किया और मुकदमा चलाए जाने का दावा किया।

4. अपीलकर्ता के अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 13 गवाहों की जांच की और मुकदमे के दौरान विभिन्न दस्तावेज और लेख भी प्रदर्शित किए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए अपने बयान में, अपीलकर्ता ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में उपस्थित होकर उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया। उसने निर्दोष होने और झूठे आरोप लगाने का दावा किया। अपीलकर्ता द्वारा अपने बचाव में मनोहर सिंह (डी.डब्लू.-1) और छोटू खान (डी.डब्लू.-2) के मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए तथा कुछ दस्तावेज भी प्रदर्शित किए गए।

5. अभियोजन पक्ष द्वारा तथ्यों की सफल स्थापना पर भरोसा करते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा इस कहानी को साबित किया गया है। ट्रायल कोर्ट ने चश्मदीद गवाह खग सिंह (पीडब्लू-1) और उसके दो बेटों दुल सिंह उर्फ दुले सिंह (पीडब्लू-2) और लाबू सिंह उर्फ लाभू सिंह (पीडब्लू 3) की गवाही, मेडिकल साक्ष्य, बरामदगी और अपीलकर्ता के मकसद पर भरोसा करते हुए अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और सजा सुनाई, जैसा कि ऊपर बताया गया है। इसलिए यह अपील।

6. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री भंवर सिंह राठौर ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित किया गया निर्णय विधि एवं तथ्यों के विरुद्ध है, जो विधि की दृष्टि में टिकने योग्य नहीं है तथा इसे निरस्त किया जाना चाहिए, क्योंकि विद्वान ट्रायल जज ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराने एवं दण्डित करने में गलती की है। उन्होंने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष ने सत्य कहानी को दबाया है तथा केवल इच्छुक एवं रिश्तेदार गवाहों के साक्ष्य के आधार पर, अभिलेख पर उपलब्ध अन्य सामग्री पर विचार किए बिना दोषसिद्धि का निर्णय पारित कर दिया है। अंत में, यह तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। इसलिए, उन्होंने आग्रह किया कि ऐसी परिस्थितियों में,

अपीलकर्ता की दोषसिद्धि एवं दण्डितता को बरकरार नहीं रखा जा सकता है तथा आक्षेपित निर्णय को निरस्त किया जाना चाहिए तथा अपीलकर्ता को दोषमुक्त किया जाना चाहिए। अपने तर्कों के समर्थन में, उन्होंने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया है:-

1. 2000 (2) Crimes 137 (SC)

Suresh Raj Vs. State of Bihar

2. 2006 SCC (Criminal) 284

Pratap Singh Vs. State of M.P.

7. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान लोक अभियोजक श्री बी.आर. बिश्नोई ने हमें संपूर्ण साक्ष्यों से अवगत कराया और तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सभी साक्ष्य उचित संदेह से परे साबित हुए हैं। अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे मकसद, इरादे और बरामदगी के तथ्य को साबित करने में सक्षम रहा है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मृतक रतन सिंह की हत्या अपीलकर्ता ने ही की है। इसलिए, वह अपील को खारिज करने की प्रार्थना करता है।

8. हमने अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है तथा पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर भी विचार किया है। हमने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का भी गहनता से पुनर्मूल्यांकन किया है।

9. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि सभी तीन गवाह अर्थात् खग सिंह, दुल सिंह उर्फ दुले सिंह तथा लाबू सिंह उर्फ लाभू सिंह जिन्हें प्रश्नगत घटना के प्रत्यक्षदर्शी के रूप में प्रस्तुत किया गया था, वास्तव में घटनास्थल पर उपस्थित नहीं थे तथा उन्होंने घटना को नहीं देखा था। यह तर्क दिया गया है कि एक ओर अपीलार्थी तथा दूसरी ओर मृतक, शिकायतकर्ता तथा दोनों प्रत्यक्षदर्शियों के बीच कटु शत्रुता थी। खग सिंह (पीडब्लू-1), दुल सिंह उर्फ दुले सिंह (पीडब्लू-2) तथा लाबू सिंह उर्फ लाभू सिंह (पीडब्लू-3) मृतक रतन सिंह के निकट संबंधी थे तथा आपस में रिश्तेदार भी थे। निस्संदेह, वे अपीलार्थी जोग सिंह के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध रखते थे। घटनास्थल पर उनकी मौजूदगी के बारे में कोई अन्य साक्ष्य मौजूद नहीं है। इसलिए, उनके साक्ष्य को पूरी तरह से खारिज किया जा सकता है।

10. सर्वप्रथम, हम इस मत पर हैं कि चिकित्सा साक्ष्य के मद्देनजर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मृतक रतन सिंह की मृत्यु गोली लगने से हुई थी। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या गवाहों खग सिंह, दुल सिंह उर्फ़ दुले सिंह और लाबू सिंह उर्फ़ लाभू सिंह ने आरोपी जोग सिंह को रतन सिंह पर गोली चलाते और ढाणी में आग लगाते देखा था और क्या इस आधार पर अभियोजन पक्ष आरोपी जोग सिंह के खिलाफ अपने मामले को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है?

11. क्या सही है और क्या गलत है, इसका निर्णय मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करके किया जाना चाहिए, जो कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए गवाहों के बयान सहित रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री से उत्पन्न होता है।

12. अभियोजन पक्ष की कहानी का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि खग सिंह और मृतक रतन सिंह का खेत संयुक्त खातेदारी स्थान था, जहाँ घटना घटी थी। खग सिंह (पीडब्लू-1), दुल सिंह उर्फ दुले सिंह (पीडब्लू-2) और लाबू सिंह उर्फ लाभू सिंह (पीडब्लू 3) कथित तौर पर घटनास्थल पर मौजूद थे और उन्होंने घटना को देखा था।

13. शिकायतकर्ता खग सिंह (पीडब्लू-1) का कथन था:-

“हम खेत में पाला (झाड़ियाँ और छोटे पौधे) काट रहे थे, हमने पाला काटने का काम दो दिन पहले शुरू किया था।” उनके बेटे दुले सिंह (पीडब्लू-2) ने भी कहा:- हम खेत में पाला काट रहे थे। यह सच है कि जब हम पाला काटते हैं, तो हाथ में और पास में “जड़बड़” और “जेई” (यंत्र) रहते हैं, जो मेरे पिता और हम भाइयों के पास भी थे। हमने घटना से एक दिन पहले भी पाला काटा था।” तीसरे गवाह लाबू सिंह (पीडब्लू-3) ने कहा:- “हम खेत में पाला काट रहे थे, जिसे हम दो दिन से काट रहे थे। पाला काटने के लिए हमारे पास एक “गंडासी” (काटने का यंत्र) और एक “जेई” (इकट्ठा करने का यंत्र) था।”

14. इसके विपरीत, जांच अधिकारी वीर सिंह (पी.डब्लू.-13) ने बयान दिया है कि घटनास्थल पर पाला के बंडल नहीं मिले; साइट-प्लान (एक्स.पी-2) और अपराध-स्थल के विवरण के ज्ञापन (एक्स.पी-3) में बंडल नहीं दिखाए गए हैं; घटनास्थल पर पाला काटने के कोई निशान नहीं थे; पाला काटने के लिए कोई उपकरण नहीं थे; वहां "गंडासी" और "जेई" भी नहीं मिली।

15. उपरोक्त साक्ष्यों के विश्लेषण से यह साबित होता है कि घटनास्थल पर उपरोक्त तीन कथित प्रत्यक्षदर्शियों की उपस्थिति पाला के ढेरों से पुष्ट नहीं होती है, जिन्हें उन्होंने खुरच कर बंडलों (भिंटके) में रखा था। "गंडासी और जेईया" (झाड़ियों को काटने और इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण) जिनसे वे पिछले दो दिनों से पाला खुरच रहे थे, वे भी साइट निरीक्षण के समय पुलिस को नहीं मिले।

16. इस न्यायालय के विचार में, यदि पाला वास्तव में खुरच कर इकट्ठा किया गया होता, तो पाला खुरचने के लिए इस्तेमाल की गई “गंडासी” और “जेई” को जांच अधिकारी वीर सिंह (पीडब्लू-13) ने उस भूमि के हिस्से पर देखा होता, जहां से पाला खुरच कर इकट्ठा किया गया था और उन्हें वहां खुरच कर इकट्ठा किए गए पाला के बंडल भी मिले होते।

17. ये परिस्थितियां स्पष्ट रूप से संकेत देती हैं कि पाला खुरच कर नहीं इकट्ठा किया जा रहा था और इसलिए, कोई भी प्रत्यक्षदर्शी, खग सिंह (पीडब्लू-1), दुल सिंह उर्फ दुले सिंह (पीडब्लू-2) या लाबू सिंह उर्फ लाभू सिंह (पीडब्लू-3) उक्त उद्देश्य के लिए घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, जब रतन सिंह पर गोली चलाई गई थी। इस प्रकार, इन तीन कथित प्रत्यक्षदर्शियों की घटनास्थल पर मौजूदगी उस उद्देश्य के आधार पर विश्वसनीय नहीं पाई जाती, जिसके लिए वे घटना स्थल पर अपनी मौजूदगी का हवाला दे रहे थे। यह खग सिंह, दुल सिंह उर्फ़ दुले सिंह और लाबू सिंह उर्फ़ लाभू सिंह की गवाही को खारिज करने और दरकिनार करने का एक मजबूत और उचित कारण है, जो कि हितबद्ध और विरोधी गवाह थे। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि हितबद्ध या विरोधी गवाहों के साक्ष्य की बहुत सावधानी से जांच की जानी चाहिए और केवल पक्षपातपूर्ण गवाह होने के आधार पर उन्हें खारिज नहीं किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य न्यायालय की अंतरात्मा को संतुष्ट करते हैं कि तीनों कथित चश्मदीद गवाह घटना के संबंध में सच नहीं बोल रहे हैं। इसलिए, यह विश्वसनीय नहीं पाया गया कि वे घटना स्थल पर मौजूद थे और घटना के समय पाला को खुरच रहे थे।

18. अब हम मामले के दूसरे पहलू पर विचार कर सकते हैं, जो घटनास्थल पर प्रत्यक्षदर्शियों की मौजूदगी से संबंधित है। इस संदर्भ में गवाह जेरूप उर्फ जयरूपराम (पीडब्लू-4) का बयान बहुत महत्वपूर्ण है। जांच के दौरान उसके बयान (एक्स.-5) के अनुसार पुलिस को पता चला कि घटना वाले दिन शाम को वह अपनी ढाणी में था। जब उसने आग की लपटें देखीं, तो वह रतन सिंह की ढाणी में गया और घटना के बारे में जाना। हालांकि, उसने अदालत में दर्ज कराए गए अपने बयानों में काफी सुधार किया। घटना का प्रत्यक्षदर्शी बनकर उसने बयान दिया कि उसने दोपहर में जोग सिंह को रतन सिंह पर गोली चलाते देखा था। जोग सिंह के साथ अपनी दुश्मनी

स्वीकार करते हुए उसने यह भी स्वीकार किया कि आरोपी जोग सिंह के खिलाफ उसका अदालती मामला चल रहा है। यदि इन सुधारों पर विचार किया जाए, तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह गवाह उन बिंदुओं पर सुधार करने के लिए पर्याप्त चतुर है, जिन्हें वह महत्वपूर्ण मानता है और जो अभियोजन पक्ष के लिए विशेष रूप से हत्या के मामले में बहुत घातक है। यह गवाह अभियोजन पक्ष के मामले को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। जेरुप उर्फ़ जयरूपराम (पीडब्लू-4), हालांकि एक प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है, फिर भी अभियोजन पक्ष का गवाह है और उसने जबरदस्ती एक प्रत्यक्षदर्शी बनने की कोशिश की है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने केवल अभियुक्त को फंसाने के लिए गवाही दी है, इस आधार पर भी अभियोजन पक्ष का मामला संदिग्ध प्रतीत होता है।

19. अब हम उद्देश्य के पहलू पर विचार करते हैं। तीनों कथित प्रत्यक्षदर्शियों ने स्वीकार किया कि मृतक और अभियुक्त जोग सिंह के बीच खेत की सीमा का विवाद था, जो पक्षों के बीच दुश्मनी का कारण था। दुश्मनी, निस्संदेह, एक दोधारी हथियार है; यह अपराध करने का एक मकसद हो सकता है; यह झूठे आरोप लगाने का एक मकसद भी हो सकता है। वर्तमान मामले की पृष्ठभूमि में, यह स्वाभाविक था कि अपीलकर्ता जोग सिंह को शिकायतकर्ता खग सिंह (पीडब्लू-1) के कहने पर घटना में फंसाया गया होगा, जिसे उसने नहीं देखा था और न ही उसके दोनों बेटों ने देखा था। इस पहलू पर, इस न्यायालय की उपरोक्त टिप्पणियों के समर्थन में 2000(2) अपराध 137(एससी) सुरेश राय बनाम बिहार राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से लाभ उठाया जा सकता है।

20. अभिलेख से पता चलता है कि पूरी जांच पूरी तरह से दूषित थी और प्रस्तुत मामला मुखबिर खग सिंह और उसके दोनों बेटों की सामूहिक शरारत थी।

21. यह निस्संदेह सच है कि मृतक की मौत हत्या थी, लेकिन चूंकि अभियोजन पक्ष आरोपी जोग सिंह के खिलाफ उचित संदेह से परे अपना मामला साबित करने में सफल नहीं हुआ है, इसलिए हमारा मानना है कि अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किए गए सबूत आरोपी जोग सिंह के अपराध को साबित करने के लिए शायद ही पर्याप्त हैं।

22. हमारा दृढ़ मत है कि रतन सिंह की मौत में आरोपी जोग सिंह की संलिप्तता को निर्णायक रूप से साबित करने के लिए किसी भी ठोस और विश्वसनीय पुष्टि करने वाले सबूत के अभाव में, कथित चश्मदीद गवाहों के बयानों के आधार पर उन्हें दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं होगा।

23. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के समग्र मूल्यांकन पर यह स्पष्ट हो जाता है कि ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन पक्ष द्वारा उसके समक्ष रखे गए साक्ष्य को ही स्वीकार कर लिया। साक्ष्य प्रस्तुत करने मात्र से दोषसिद्धि नहीं हो जाती। इसकी विश्वसनीयता ही मायने रखती है। इस प्रकार, हमारा विचार है कि ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य का उचित मूल्यांकन नहीं किया है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई विश्वसनीय और भरोसेमंद साक्ष्य नहीं है कि यह अपीलकर्ता जोग सिंह था जिसने अपराध किया। तदनुसार, हमें लगता है कि यह एक उपयुक्त मामला है जहां अपीलकर्ता को उचित संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। हम ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई दोषसिद्धि और सजा को खारिज करने के इच्छुक हैं।

24. परिणामस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है। सत्र मामला संख्या 3/1987 में अपीलकर्ता जोग सिंह के खिलाफ दोषसिद्धि और सजा पारित की गई जिसका शीर्षक "राजस्थान राज्य बनाम जोग सिंह" के विरुद्ध दिनांक 26.09.1989 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नागौर द्वारा दिए गए निर्णय एवं आदेश को अपास्त किया जाता है। अपीलकर्ता को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से बरी किया जाता है।

25. अपीलकर्ता जमानत पर है। उसके जमानती बौंड निस्पादित किए जाते हैं। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है।

(राजेंद्र प्रकाश सोनी),जे **(डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी),जे**

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण – यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।